प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 23.02.24

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी कर चोरी करने वाला एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से धोखाधडी के 3200/- रूपये बरामद

दिनांक 17.11.2023 को वादी ने 02 अज्ञात व्यक्ति द्वारा टप्पेबाजी कर, मोबाइल फोन व 4300/- रूपये चोरी करने तथा एटीएम का पिन पूछकर बैंक से 98900/- रूपये निकाल लेने के संबंध में थाना सिहानी गेट पर तहरीर दी, जिस पर थाना सिहानी गेट पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। दिनांक 22.02.2024 को पुलिस टीमों द्वारा मोबाइल सर्विलांस, लोकल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना कारित करने वाले एक अभियुक्त शाहिद पुत्र शब्बीर को हापुड़ मोड़ से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया व कब्जे से टप्पेबाजी कर चोरी किए गए 3200/- रूपये बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि साहब मैंने तथा मेरे दोस्त फारुक ने मिलकर लगभग 3 महीने पहले एक व्यक्ति से हापुड़ मोड़ से ठगी करके उसके पैसे और मोबाइल और उसके एटीएम का पासवर्ड ले लिया था फिर उसके मोबाइल के UPI के माध्यम से हम दोनों ने खाने पीने के सामान की खरीददारी कर ली थी और उसके पैसे चोरी कर खाते से निकाल लिए थे तथा मुझे फारुक ने 30,000/- रुपये दिये थे, यह जो पैसे मेरे पास है वह उसी घटना के बचे हुए पैसे है तथा मोबाइल फोन भी फारुक के ही पास है।

नाम पता अभियुक्त-

शाहिद पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम सोलाना थाना धोलाना जनपद हापुड़

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मसूरी पर 01 अभियोग डकैती से सम्बन्धित, थाना सिहानी गेट पर 01 अभियोग धोखाधडी से सम्बन्धित पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरणः-

3200/- रूपये

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीमः-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 8 लाख रुपये के हुक्का फ्लेवर की डील कर बदले में फर्जी नोट (चिल्ड्रन बैंक ऑफ इन्डिया) देकर भाग जाने वाला शातिर अभियुक्त फर्जी नोटों के साथ गिरफ्तार

दिनांक 23-02-24 को वादी श्री आयुष पुत्र अमर सिंह ने 02 अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ धोखाधडी से 1000 हुक्का पीस का ऑर्डर 800 रूपये पर हुक्का पीस के हिसाब से तय करना बाद में धोखाधडी से 1000 हुक्का पीस अपने साथ ले जाने व बदले में असली रूपये की जगह एक बैग में चिल्ड्रन बैंक के नकली नोट की 15-16 गड्डी देकर भाग जाने के संबंध में थाना नन्दग्राम पर तहरीर दी , उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना नन्दग्राम पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों, लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 23-02-24 को अभियुक्त ब्रजभान पुत्र हल्के को हनमुना चौक राजनगर एक्स0 से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण--गिरफ्तार किये गये अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग तीन दोस्त है, जिसमें कि अयान मेरे साथ ही गुडगांव मे बर्गर पॉइन्ट पर काम करता था तथा शहवनाज उसका ही दोस्त था, जिससे बाद में मेरी भी दोस्ती हो गयी थी। शहनवाज ने यह डील किसी के माध्यम से की थी, डील वाले दिन मैं और अयान यहीं पर हुक्का के फ्लेवर लेने आये थे। जैसे ही हमने हुक्का फ्लैवर से भरे बैग अपने कब्जे में लिये तो मैने नकली नोट की गड्डियां निकालकर आयुष को दे दिये और वहां से भाग गये थे।

अभियुक्त का नाम व पता--

ब्रजभान पुत्र हल्के निवासी जसंन्तपुरा थाना अमान गंज जनपद पन्ना मध्य प्रदेश , हाल निवासी म0नं0 1480 गली नं 12 पटेल नगर थाना सैक्टर 15 सिविल लाइन जनपद गुडगांव उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण--

अभियुक्त के कब्जे से 1 गड्डी फर्जी नोट (चिल्ड्रन बैंक ऑफ इन्डिया) जिसमें कुल 80 नोट

गिरफ्तार करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा दि0 21-02-24 की रात्रि में हिन्दू रक्षा दल के कार्यकर्ता के साथ मारपीट करने वाले 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार

दिनांक 22-2-2024 को वादी श्री निशांत पुत्र बालिस्टर निवासी सुभाषनगर सिहानी थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद कार्यकर्ता हिन्दू रक्षा दल ने तहरीर दी कि राजू, प्रियांशु व मेरे (कार्यकर्ता हिन्दू रक्षा दल) साथ कुछ लोगो द्वारा मारपीट की गयी है व धमकी भी दी गयी है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना नन्दग्राम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन किया गया। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो, लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर हिन्दू रक्षा दल सदस्य के साथ मारपीट करने वाले 04 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि एक दो दिन पहले ही राजू व प्रियाशु से हमारा स्कूल में किसी बात को लेकर झगडा हो गया था, तब तो स्कूल स्टाफ ने हमारा झगडा नही होने दिया था, परन्तु जब 21-02-2024 की रात्रि को ये लोग हमें बाहर मिले तो हमने इनके साथ मारपीट कर दी थी।

अभियुक्तगण का नाम व पता—

1. रजा पुत्र जफीर निवासी नूरनगर सिहानी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद
2. हमजा पुत्र मो0 नजीर खान निवासी नूरनगर सिहानी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद
3. साहिल पुत्र अनवर अली निवासी म0न0 181 नई बस्ती नूरनगर सिहानी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद
4. साहिब मलिक पुत्र अनवर अली निवासी म0न0 181 नई बस्ती नूरनगर सिहानी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 04 शातिर अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से 05 चोरी की लग्जरी गाडियाँ व वाहन चोरी मे प्रयोग किये जाने वाले ईलैक्ट्रोनिक उपकरणों सहित अन्य सामग्री बरामद

दिनाँक-22/02/2024 को क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा एनसीआर क्षेत्र में लग्जरी गाड़ियों की चोरी करने व बेचने वाले अन्तर्राज्यीय चार पहिया वाहन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 04 शातिर अन्तर्राज्यीय अभियुक्तो को थाना मसूरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 02 विटारा ब्रेजा गाडी, 01 बलैनो गाडी, 01 होण्डा जाज गाडी, 01 सैन्ट्रो गाडी व भारी मात्रा मे चोरी करने के उपकरण बरामद हुए।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त ताज मौहम्मद उर्फ ताजू ने बताया कि मैं 5 वीं फेल हूँ पहले मैं ऑटो चलाता था मैं वर्ष 2012 में रौनक अली उर्फ बब्बू के सम्पर्क में आया और उसके साथ गाडियों की चोरी करने लगा। मैं वाहन चोरी में रौनक अली उर्फ बब्बू, रिंकू उर्फ नूर मौहम्मद व हाकिम मुल्ला आदि के साथ कई बार जेल जा चुका हूँ। हम लोगो ने मिलकर करीब 500 गाडियाँ चोरी की है। मेरे साथी रिंकू व हाकिम मुल्ला वाहन चोरी मे जेल चले गये है उनके जेल जाने के बाद मैनें अपना नया गिरोह बना लिया जिसमें मैं, गुड्डू, मतीन, काशिफ, अरकान एक साथ मिलकर गाडी चोरी करने का काम करते है। अब हम लोग गाडियाँ चोरी करके सम्भल के आमिर व बडोदरा गुजरात के आसिफ को सप्लाई करने लगे। आमिर को अब तक हमने करीब 200 चोरी की गाडियाँ सप्लाई कर दी है। लग्जरी गाडियों की चोरी के लिए टैब मे सॉफ्टवेयर लोड करवा कर तथा रिमोट वाली चाबियाँ व अन्य चोरी के उपकरण आमिर व उसकी पत्नी फरीन हमे देते है जो चोरी के उपकरण उपलब्ध कराने के अलग से पैसे लेते है। आमिर ज्यादातर दुबई में रहकर काम करता है। अभियुक्त गुड्डू ने पूछताछ पर बताया कि मैं अनपढ हूँ पहले मै ई-रिक्शा चलाने का काम करता था मेरा सम्पर्क ताज मौहम्मद से हुआ और ज्यादा पैसों के लालच में हम लोग गाडियाँ चोरी कर गाडियों की सम्भल व गुजरात मे सप्लाई करने लगे। अभियुक्त मतीन ने बताया कि मै अनपढ हूँ तथा मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनाता था मेरा सौतेला भाई अरकान व पिता फुरकान वाहन चोरी का काम करते थे मैं उनके साथ मिलकर वाहन चोरी कर गुजरात व महाराष्ट्र मे चोरी के वाहनो की सप्लाई करने लगा बाद में रिंकू के सम्पर्क मे आकर दिल्ली एन0सी0आर0 मे चोरी करने लगा। अभियुक्त काशिफ ने पूछताछ पर बताया कि मैं 9वीं पढा हुआ हूँ ताजमौहम्मद उर्फ ताजू मेरे चाचा थे मेरे पिता ने हमे छोड दिया था तो मेरी माता ने ताजू से शादी कर ली और मैं ताजू के साथ मिलकर गाडियाँ चोरी व अन्य अपराध करने लगा।

विस्तृत पूछताछ पर अभियुक्त ताजमौहम्मद उर्फ ताजू ने बताया कि मेरा व गुड्डू, मतीन, काशिफ, अरकान, आमिर, आसिफ व इस्लाम का एक संगठित गिरोह है जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लग्जरी गाडियों को मांग के अनुसार चोरी कर एक-दूसरे के माध्यम से आगे बेचने का काम करते है। गाडी की डिमाण्ड आमिर, आसिफ व इस्लाम हमे बताते हैं फिर मैं, गुड्डू, मतीन, काशिफ, अरकान डिमाण्ड वाली गाडी को चोरी करने के लिए रात्रि के समय गाडी से ही रैकी करते है और जब रैकी करने के बाद गाड़ी को चिन्हित कर लेते हैं, तब मौका देखकर मैं व गुड्डू मौके पर पहुंचकर चिन्हित गाडी के पीछे डिग्गी का लॉक तोड कर या दरवाजे का शीशा तोडकर गाडी खोलकर अन्दर घुस जाते है और इलेक्ट्रोनिक डिवाइस (टैब) के माध्यम से नकली चाबी बना लेते हैं और चुम्बक के माध्यम से स्टेरिंग लॉक खोलते हैं फिर गाड़ी चोरी करके कुछ दूर जाने के बाद उसकी नम्बर प्लेट चेन्ज कर देते हैं और जीपीएस चैक करके उसको निकालकर फेक देते हैं। फिर चोरी की गाड़ी को अपने छुपाने के स्थानों पर ले जाकर खड़ी कर देते हैं और कुछ समय बाद गाडी की डिमाण्ड करने वाले साथी को बेच देते है और वो आगे पार्टी को बेच देते है अगर हमे भी कोई पार्टी सीधा मिलती है तो उसको उसकी डिमाण्ड के अनुसार गाडी चोरी करके बेच देते है। गाडी चोरी करके बेचने में जो पैसा मिलता है उसको हम सभी

आपस में बराबर-बराबर बाँट लेते है उसी पैसे से हम अपने शौक पूरे करते है व अपने घर का खर्चा चलाते है। आमिर चोरी करने उपकरणो को उपलब्ध कराने का पैसा अलग से लेता है यदि वह बाहर रहता है तो उसकी पत्नी यह काम करती है। हम लोग यह काम 10-12 वर्षो से कर रहे हैं।

अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर यह भी बताया कि जब हम गाड़ी चुराने आते थे तो उस समय पहचान छुपाने के लिए अपनी गाड़ी की नम्बर प्लेट बदलकर-बदलकर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर पहले से तयशुदा स्थान पर इकट्ठा हो जाते थे और मोबाइलों को फ्लाइट मोड पर कर लेते थे। हम लोग आपस में व्हाट्स-एप पर ही मैसेज व कॉल करते है, आपस में नॉर्मल कॉल करने से बचते हैं। अभियुक्तगण काफी शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके द्वारा आस-पास के राज्यों में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया गया है। अभियुक्तों से मिली जानकारी के आधार पर अन्य अभियुक्तों व चोरी की गाड़ियों की खरीद-फरोख्त करने वालों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीम बनाकर कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त ताज मौहम्मद उर्फ ताजू व उसका पुत्र काशिफ, ताजू की पत्नी व गुड्डू उपरोक्त आदि ने जुलाई 2023 में थाना सराय रोहिल्ला दिल्ली से ए.टी.एम. काट कर करीब 19.5 लाख रूपये चोरी कर लिये थे जिसमे गुड्डू व ताजू की पत्नी पूर्व मे जेल जा चुके है तथा ताज मोहम्मद उर्फ ताजू व काशिफ उपरोक्त ए.टी.एम. काट कर चोरी करने के मुकदमे में वाँछित चल रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.ताज मौहम्मद उर्फ ताजू उर्फ चवन्नी पुत्र शाहिद निवासी मौहल्ला ठाकुरान पनी की टंकी के पास कस्बा व थाना ककोड जनपद-बुलन्दशहर हाल निवासी किराये का मकान गली न0-04 संगम विहार थाना संगम विहार दिल्ली उम्र करीब 36 वर्ष

2.गुड्डू पुत्र नन्हे निवासी हाफिज जी का मकान गली न0-01 तीसरा पुस्ता करतार नगर थाना उस्मानपुर दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष

3.मतीन पुत्र तस्लीम निवासी जामा मस्जिद के पास आरा मशीन वाली गली मौहल्ला बरबरान थाना मुगलपुरा जनपद-मुरादाबाद हाल निवासी नई मस्जिद के पास कबीर नगर रामपुर दौराहा थाना रामपुर दौराहा जनपद-मुरादाबाद उम्र करीब 27 वर्ष

4.काशिफ पुत्र सगीर निवासी शाहिद निवासी मौहल्ला ठाकुरान पनी की टंकी के पास कस्बा व थाना ककोड जनपद-बुलन्दशहर हाल निवासी रिजवान का मकान एन0के0 कालोनी शेखपुर खिचरा थाना धौलाना जनपद-हापुड उम्र 22 वर्ष

बरामदगी:-

1.विटारा ब्रेजा गाडी रंग सफेद (सैक्टर-24 रोहिणी दिल्ली से चोरी, रजिस्ट्रेशन नम्बर DL 11CD 0745)

2.विटारा ब्रेजा गाडी रंग सफेद (सैक्टर 13 रोहिणी दिल्ली से चोरी, रजिस्ट्रेशन नम्बर DL 8CAT 5137)

3.होण्डा जाज गाडी रंग सफेद (सी.सी. कालोना मॉडल टॉऊन दिल्ली से चोरी, रजिस्ट्रेशन नम्बर DL 4CBB 3396)

4.बलैनो रंग नीला (शक्ति नगर दिल्ली से चोरी, रजिस्ट्रेशन नम्बर DL 2CAV 4720)

5.सैन्ट्रो रंग सफेद (रजिस्ट्रेशन न0- DL 2CAM 9785)

6.गाडी की चाबी की कोडिंग करने वाला टैब (रंग ग्रे) मय डाटा केबल वायर रंग लाल- 01

7.एल.एन. टी (लॉक तोडने के लिए)- 02

8.रॉड- 01

9.छोटे बडे पेंचकस- 03

10.हथौडा – 01

11.वायर कटर – 01

12.लॉक मय चाबी – 01

13.चुम्बक- 01

14.कप्लर- 01

15.चिम्टी मय तार व पिन -01

16.छोटी टॉर्च- 01

17.बनी एंव बिना बनी चार पहिया गाडियों की चाबियाँ – 06

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त ताजमौहम्मद के विरूद्ध 36 अभियोग दिल्ली, 04 अभियोग गौतमबुद्धनगर, 01 अभियोग हापुड व 14 अभियोग गाजियाबाद कुल 55 अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त गुड्डू के विरूद्ध 07 अभियोग दिल्ली व 01 अभियोग गाजियाबाद कुल 08 अभियोग पंजीकृत है।

3.अभियुक्त मतीन के विरूद्ध 05 अभियोग दिल्ली, 01 अभियोग बरेली, 01 अभियोग मुरादाबाद व 01 अभियोग गाजियाबाद कुल 08 अभियोग पंजीकृत है।

4.अभियुक्त काशिफ के विरूद्ध दिल्ली मे 04 व गाजियाबाद मे 02 कुल 06 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद